



प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड,
लखनऊ, 50प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 26 सितम्बर, 2026

विषय:- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1 बी के क्रियान्वयन हेतु 50प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभिन्न 04 मर्दों के सापेक्ष द्वितीय किशत की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-यू0पी0एम0आर0सी0/वित्त/लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1बी/2983 दिनांक 10.09.2026 एवं निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-3159/यू0पी0एम0आर0सी0/वित्त/लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1बी, दिनांक 16.08.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1 बी हेतु कुल प्राविधानित धनराशि ₹0 550.00 करोड़ के सापेक्ष द्वितीय किशत के रूप में मदवार धनराशि ₹0 137.50 करोड़ (रूपये एक अरब सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र) आहरित कर 50प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने की राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1 बी/50प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को भूमि हेतु उपलब्ध कराया जा रहा सब-आर्डिनेट ऋण ब्याज मुक्त होगा तथा उक्त ऋण का प्रतिदान ऋण की अदायगी प्रधान ऋण के भुगतान किये जाने के पश्चात आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किशतों में 50प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ द्वारा समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी 50प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन की होगी तथा 50प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (4) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (5) 50प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किए जाने के सम्बंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (8) 50प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (9) 50प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) 50प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वैधानिक आपत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

- (11) 30प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा परियोजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का समस्त उत्तरदायित्व 30प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का होगा।
- (13) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि 30प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 4217601901000 (लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1बी में अंशपूजी विनियोजन)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	कुल बजट धनराशि	स्वीकृत धनराशि
002	4217601901000 (लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1बी में अंशपूजी विनियोजन)	30 (निवेश/ऋण)	1,50,00,00,000 रुपये एक अरब पचास करोड़ मात्र	37,50,00,000 रुपये सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र
	कुल			37,50,00,000 (रुपये सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र)

लेखाशीर्षः 6217601900601 (केन्द्रीय करों के भुगतान हेतु ऋण)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	कुल बजट धनराशि	स्वीकृत धनराशि
002	6217601900601 (केन्द्रीय करों के भुगतान हेतु ऋण)	30 (निवेश/ऋण)	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र
	कुल			25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र)

लेखाशीर्षः 6217601900602 (राज्य करों में भुगतान हेतु ऋण)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	कुल बजट धनराशि	स्वीकृत धनराशि
002	6217601900602 (राज्य करों में भुगतान हेतु ऋण)	30 (निवेश/ऋण)	1,50,00,00,000 रुपये एक अरब पचास करोड़ मात्र	37,50,00,000 रुपये सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र
	कुल			37,50,00,000 (रुपये सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 6217601900603 (भूमि हेतु सब - आर्डिनेट ऋण)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	कुल बजट धनराशि	स्वीकृत धनराशि
002	6217601900603 (भूमि हेतु सब - आर्डिनेट ऋण)	30 (निवेश/ऋण)	1,50,00,00,000 रुपये एक अरब पचास करोड़ मात्र	37,50,00,000 रुपये सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र
	कुल			37,50,00,000 (रुपये सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र)
महायोग	1,37,50,00,000 (रुपये एक अरब सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र)			

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-316-X-2026-27-दिनांक:25-9-2026, मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या-157/2026/1188(1)/02- लखनऊ मेट्रो 1981776, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), उ०प्र०, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), उ०प्र०, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक (वित्त), उ०प्र० मेट्रो रेल कारपोरेशन लि० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कारपोरेशन का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई०एफ०एस०सी० कोड की सूचना ईमेल आई०डी० ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 एवं 2 ।
11. नियोजन अनुभाग-4।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
शिव पूजन
अनु सचिव।